


10.07.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित
प्रार्थी का मूल वादपत्र (विद्रा) हो गया। मूल वाद पत्र
खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही
शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के
कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.
टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती हैं।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज
तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर ।
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

